न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) टिब्बी जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

गि0न0 – 129/2023

अनवान : –

1. दयालाराम पुत्र साहबराम जाति जाट निवासी मल्लखेड़ा त0 टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मुखी पत्नी अमीचन्द जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
2. महावीर पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
3. हंसराज पुत्र अमीचन्द जाति जाट निवासी मल्लड़खेड़ा त0 टिब्बी।
4. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251
ए आरटीएक्ट
उपस्थिति :–श्री सुभाष गर्ग **प्रार्थी**
श्री बीएस थिन्द अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक: 25/7/25

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता में चक 2 एनजीआर के प0न0 184/211 मु0 22 किलानं0 13, 17. 18/2/0.126, प0न0 184/212 मु0 27 किलानं0 3/1/0.228, 3/2/.025 है0 रास्ता, 8/0.253 कुल 1.138 है0 में प्रार्थी का 379/6828 है० हिस्सा आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है व अप्रार्थीगण के नाम से चकनं0 2 एनजीआर के प०न० 184/211 मु0 22 किलानं0 18/1/0.127, 23/0.253 है0 आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। चक 2 एनजीआर के प0न0 184/211 मु0 22 किलानं0 18/2/0.126 है0 प्रार्थी के कब्जा काश्त में है अप्रार्थीगण द्वारा चक 2 एनजीआर के प0न0 184/211 मु0 22 किलानं0 18/1/0.127, 23/0.253 है0 में पूर्वी दिशा की तरफ 10 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिण से उतर प्रार्थी की कृषि भूमि में आवगामन हेतू दिया हुआ है जिससे होकर प्रार्थी अपनी भूमि में प्रवेश करता चला आ रहा है व उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास अन्य कोई रास्ता आवागमन के लिए उपलब्ध नही है ।

अप्रार्थी सं0 1 के पति व 2 व 3 के पिता अमीचन्द द्वारा एक दीवानी वाद सं० 20/2012 प्रार्थी के पिता साहबराम के मध्य एक प्रकरण विचाराधीन था जिसमें राजीनामा हो गया था। सिविल वाद सं0 20/2012 के राजीनामा मे प्रथम पक्षकार मुखीदेवी द्वारा चक 2 एनजीआर के प0न0 184/211 मु0 22 किलानं0 23 व किलानं0 18 की 10 बिश्वा आराजी में से प्रार्थी के पिता साहबराम को कृषि भूमि में आवागमन के लिए 10–10 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ना तैय किया व राजीनामा के आधार पर वांछित अनुतोष की डिक्री पारित की जाती है तो पक्षकारान को कोई एतराज नही है। राजीनामा की प्रति व फर्द अहमाम दिनांक 4.2.2014 की चित्रप्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। उक्त रास्ता मौका पर चालू है । अप्रार्थीगण

Scanned with CamScanner

मुताबिक राजीनामा उक्त 10 फुट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाने के लिए पाबन्द है लेकिन उक्त रास्ता कागजात माल में स्वीकृत नही होने के कारण अप्रार्थीगण किसी भी वक्त उपरोक्त चालू रास्ता को बंद कर सकते है अतः ऐसी स्थिति में यदि अप्रार्थीगण अपने इस गैर कानूनी मकसद में कामयाब हो गये तो मुझ प्रार्थी को अपरिमेय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी चक 2 एनजीआर के प0न0 184/211 मु0 22 किलान0 18/1/0.127, 23/0.253 है0 में पूर्वी दिशा की तरफ 10 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिण से उत्तर स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० अंकित करवाना चाहता है । प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पूर्ण कोर्टफीस पर तहरीर है तथा माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है व अन्दर मियाद पेश है । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर०टी०ए० प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण की भूमि चक 2 एनजीआर के प०न० 184/211 मु0 22 किलान0 18/1/0.127, 23/0.253 है0 में पूर्वी दिशा की तरफ 10 फुट चौड़ा रास्ता दक्षिण से उत्तर स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में गै०मु० रास्ता का अंकन किये जाने के आदेश फरमावे ।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश किया कर निवेदन किया गया कि प्रार्थना पत्र की दफा 2 में वर्णित कथन अनुसार चक 2 एन. जी. आर. के प० न० 184 /211 के किला न0 13, 17, 18/2/0.126, प० न० 184/212 के किला न0 3/1/0. 228, 3/2/0.025, 8/0.253 कुल 1.138 हैक्टेयर में प्रार्थी का 379/ 6828 हिस्सा अर्थात 0.063 हैक्टेयर हिस्सा आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होनी स्वीकार है तथा अप्रार्थीगण के नाम चक 2 एन. जी. आर. के प० न० 184 /211 के किला न0 18/1/ 0.127, 23 आराजी राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कथन स्वीकार है प्रार्थना पत्र की दफा 3 में वर्णित कथन गलत, असत्य एंव मनगढ़न्त होने के कारण अस्वीकार है। प्रार्थी का यह कथन कि चक 2 एन. जी. आर. के प० न० 184 / 211 किला न० 18 /2 / 0.126 हैक्टेयर प्रार्थी के कब्जा काश्त में है तथा अप्रार्थीगण द्वारा प० न० 184/ 211 के किला न0 18/1/0. 127, 23 में पूर्वी दिशा की तरफ 10 फुट चौडा रास्ता उतर से दक्षिण प्रार्थी की भूमि में आवागमन हेतु दिया हुआ है, कथन असत्य होने से अस्वीकार है । चक 2 एन. जी. आर. के प० न० 184 /211 के किला न0 18 / 2 / 0.126 पर प्रार्थी की कोई कब्जा काश्त नहीं है क्योंकि प्रार्थी का उक्त खाता की भूमि में 0.063 हैक्टेयर हिस्सा ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थना पत्र की दफा 4 में वर्णित कथन गलत, असत्य एंव मनगढन्त होने के कारण अस्वीकार है । प्रार्थी का यह कथन कि अप्रार्थी स० 1 के पति व अप्रार्थी स0 2 व 3 के पिता अमीचन्द एंव साहबराम के मध्य एक दीवानी वाद स0 20/2012 विचाराधीन था जिसमें साहबराम को अपनी कृषि भूमि में आवागमन के लिए 10–10 फुट चौड़ा रास्ता छोड़ना तय किया था, राजीनामा में वर्णित होने के कथन सत्य होने से स्वीकार है, परन्तु उक्त रास्ता मौका पर चालू होने के कथन अस्वीकार है। उक्त रास्ता मौका पर कभी भी चालू नहीं रहा तथा ना ही मौका पर चालू है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र की वर्णित दफा में मनगढ़न्त तथ्य अंकित किये गये है। प्रार्थी उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत

Scanned with CamScanner

करवाने का कतई अधिकारी नही है । चक 2 एन. जी. आर. के प० न0 184 / 211 के किला न0 18/1/0.127, 23/0.253 में साहबराम एंव अप्रार्थीगण के मध्य कृषि भूमि में आने जाने के लिए 10 फुट चौडाई का रास्ता छोड़ना राजीनामा में अंकित किया गया था। उक्त दीवानी वाद स0 20/ 2012 में जरिये राजीनामा साहबराम व अन्य से मुझ अप्रार्थीगण को चक 2 एन. जी. आर. के प० न0 184 /211 के किला न0 18 /1, किला न0 23 प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात साहबराम व अन्य द्वारा माननीय सहायक कलेक्टर टिब्बी के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर उक्त आराजी का मुझ अप्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में अंकन हुआ था जिससे अप्रार्थीगण उक्त 0.380 हैक्टेयर भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थे। उक्त वाद पत्र का निस्तारण होने के बाद से प्रार्थी द्वारा उक्त रास्ता से कभी भी कोई आवागमन नहीं किया गया तथा प्रार्थी को ना ही कभी उक्त रास्ता की आवश्यकता पडी। प्रार्थी की कृषि भूमि संयुक्त खाता में पड़ती है, परन्तु प्रार्थी का उक्त खाता की भूमि पर कोई कब्जा नहीं है । उक्त खाता की कृषि भूमि में आवागमन हेतु प० न० 184 / 211 के किला न0 14, 15 की उतरी सींव पर पूर्व से पश्चिम की ओर रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता प० न० 184 / 211 के किला न0 2, 3, 8, 9 में जोहड़ पायतन की भूमि पर स्थित स्कूल को जाता है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य आपसी मुकदमें बाजी विचाराधीन है। उक्त विवाद को लेकर प्रार्थी द्वारा मुझ अप्रार्थीगण के विरूद्ध मिथ्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। प० न० 184/211 के किला न0 23 एंव 24 में हम अप्रार्थीगण की ढाणी बनी हुई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारीज किया जावें।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस पर मनन किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार टिब्बी की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। तहसीलदार टिब्बी की रिपोर्ट व नजरी नक्शा में उक्त मौके पर प0न0 184/211 के मु0न0 22 के किला न0 24 के पश्चिम दिशा में रिहयासी ढाणी बनी हुई है। तथा किला न0 23 के प0 दिशा में ढाणी बनी हुई है। मौके पर किला न0 6–7 व 14–15 की सींव पर वैकल्पिक मार्ग है जो कि मौके पर कि0न0 2/1 व 3/1 पर संचालित राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। नजरी नक्शे के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थी की खातेदारी में प्रवेश हेतु प्रस्तावित रास्ते के अलावा किला न0 14 –15 के उतरी तरफ पूर्व से पश्चिम वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में चालू है जो आगे राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है एवं प्रार्थी की खातेदारी से सीधा जुड़ता है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए में वर्णित प्रावधान (1) में नया रास्ता स्वीकृत से संबंधित प्रावधान करने के अनुसार प्रार्थी के लिए नया रास्ता तभी स्वीकृत किया जा सकेगा जब न्यायालय को यह समाधान हो जाता है कि (1) यह आवश्कता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के लिए केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है (2) अन्य खातेदार की जोत में से विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में पहुचंने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्व हो गया हो के अनुसार प्रार्थी द्वारा

Scanned with CamScanner

चाहे गये रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता एवं वैकल्पिक रास्ते के अभाव सिद्ध नहीं होने पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचानुसार प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आर.टी.एक्ट स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/7/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमानाराम)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
टिब्बी जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner